

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

30-8-16 पत्रावली पेश हुई/तहसीलदार वजीरपुर
से रिपोर्ट अर्थात् पत्रावली
उपस्थित अभिलेख व तहसीलदार
वजीरपुर के रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अभिलेख
व तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट के अनुसार
प्राथी का प्राप्ति का प्रमाण प्राप्त किया जाकर
प्राथी का नाम मेवलाराम रज करने का आदेश दिया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में
शामिल किया गया। पत्रावली नंबर 22-9-16 से कम हो एवं बाद तकमील दायरे में
रहने के लिए।

(12)

8-9-16 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार वजीरपुर
से रिपोर्ट अर्थात् पत्रावली
जाकर रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली दि० 22-9-16
के पेश हो।

22-9-16 ~~पत्रावली~~ पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार
वजीरपुर से रिपोर्ट अर्थात् रिपोर्ट चाही
जाकर पत्रावली दि० 30-9-16 को पेश हो।

30-9-16 पत्रावली पेश हुई। प्राथी मेवलाराम उप०
है। प्राथी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध
अभिलेख व तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार
वजीरपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्राथी का प्राप्ति का प्रमाण
प्राप्त किया जाकर प्राथी का नाम मेवलाराम रज करने का आदेश दिया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में
शामिल किया गया। पत्रावली नंबर 22-9-16 से कम हो एवं बाद तकमील दायरे में
रहने के लिए।

सूचना नम्बर
16.2.2016
तारीख रजू
16.2.2016
तारीख निर्णय
3.10.2016

मेवलाराम पुत्र रामसहाय जाति मीना नि० उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर—प्रार्थी
बनाम

श्री मेवलाराम पुत्र रामसहाय जाति मीना नि० उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

अनुषंगिक :- श्री मेवलाराम मीना, प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती इस आशय का पेश किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मेहल्या पुत्र रामसहाय मीना दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज में मेरा नाम मेवलाराम मीना पुत्र रामसहाय दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम मेहल्या मीना की जगह मेवलाराम मीना का नाम हेतु आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने फोटोकॉपी अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सैकेंडरी स्कूल परीक्षा वर्ष 1985, फोटोकॉपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी नकल निवास प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी जाति प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी सं० 2068 से 2071, फोटोकॉपी राशनकार्ड आदि पेश किए हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार वजीरपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि पटवारी हलका में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम उदेईखुर्द अ में जमाबंदी सं० 2068 से 2071 के खाता संख्या 266, 267, 349 व 249 एवं जमाबंदी सं० 2072 से 2075 ग्राम उदेईखुर्द ब के खाता संख्या 281 में मेहल्या पि० रामसहाय मीना दर्ज है। प्रार्थी का नाम राशनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका में मेवलाराम पुत्र रामसहाय मीना दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में मेहल्या पि० रामसहाय मीना के स्थान पर मेवलाराम पुत्र रामसहाय दर्ज कराना चाहता है। मेवलाराम मीना व मेहल्या एक ही व्यक्ति है।

तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त रिपोर्ट पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने उसका नाम मेवलाराम मीना होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार भी प्रार्थी का सही नाम मेवलाराम मीना है। फलस्वरूप प्रार्थी राजस्व अभिलेख में दर्ज उसका नाम मेहल्या, मेवल्या के स्थान पर मेवलाराम दर्ज कराने का अधिकारी है।


उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मेवलाराम बनाम लैण्ड होल्डर, प्रा०पत्र 136 लै०रे०ए०

(2)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उदेईखुर्द अ की जमाबंदी सं० 2072-2075 खाता संख्या 249, 266, 349 में दर्ज नाम मेहल्या, खाता संख्या 267 में दर्ज नाम मेवल्या, ग्राम उदेईखुर्द ब की जमाबंदी सं० 2072 से 2075 खाता संख्या 281 में दर्ज नाम मेहल्या के स्थान पर मेवलाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन खातों में दर्ज शेष प्रविष्टियां जमाबंदी में दर्ज हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। जमाबंदी की पालना हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार वजीरपुर को भेजा जावे।

सत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील तकमिल दस्तार हो।

निर्णय आज दिनांक 3.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुनिदेव यादव)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०भा०)